राजस्थान–सरकार

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान, अजमेर

क्रमांक: प.1/प्रति.4/मृ.आ.नि./9/22/ 19416　　　　　　　　दिनांक: 3-11-2022

आदेश

राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के अन्तर्गत निम्नांकित अभ्यर्थी द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति बाबत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। अभ्यर्थी को विभागान्तर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण (प्रोबेशनट्रेनी) पर निम्न शर्तो/नियमों/प्रावधानों के अध्यधीन नियुक्ति प्रदान करते हुए पदस्थापन उसके नाम के सम्मुख कार्यालय में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर किया जाता है:–

क्र. स.	नाम मृतक आश्रित व मृतक कर्मचारी से संबंध	मृतक कार्मिक का नाम, पद, पदस्थापन स्थान, मृत्यु दिनांक एवं मृतक से संबंध	संवर्ग	आश्रित की जन्म दिनांक	शैक्षणिक योग्यता	कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापन स्थान
1	श्रीमती स्मृतिलता मन्नावत विवाहित पुत्री स्व. श्री महेन्द्र मन्नावत निवासी– 2फ 35 मधुबन हाउसिंग बोर्ड बासनी– जोधपुर	स्व. श्री महेन्द्र मन्नावत आयुर्वेद चिकित्सक राजकीय आयुर्वेद आयुर्वेद औषधालय बगडीनगर –पाली मृत्यु दिनांक 04.03.1997	सामान्य	06.10.1987	बी.ए.	कार्यालय अति. निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग जोधपुर

उक्त प्रकरण में न्यूनतम आयु सीमा का शिथिलन प्रशासनिक विभाग के पत्रांक प.11(17)आयु/2022 दिनांक 26.08.2022 (कार्मिक, क–2 विभाग की आई.डी.सं. 1329 दिनांक 09.06.2022 के अनुसरण में) द्वारा प्रदन की गई है।

उक्त मृतक आश्रित की अनुकम्पात्मक नियुक्ति निम्न शर्तो/नियमों/प्रावधानों के अध्यधीन रहेगी:–

उक्त नियुक्ति वित्त विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक:एफ.1(2) एफडी/रूल्स/06/दिनांक: 13.3.06, एफ–16(2)एफ.डी./रूल्स/98 दिनांक: 13.3.06,एफ.13 (1) एफडी. रूल्स/2003 दिनांक:13.3.06, एफ.6(6) एफ.डी./रूल्स/2005 दिनांक:13.3.06 एवं एफ.16(5)एफ.डी.रूल्स/98 दिनांक:13.3.06 के अन्तर्गत तथा समय–समय संशोधित नियमों/प्रावधानों के तहत होगी ।

1. अभ्यर्थी को परिविक्षाकाल में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1) एफडी (रूल्स)2017 दिनांक: 30.10.17 के अनुसार नियम–16 के तहत् वेतन लेवल एल–5 राशि रूपये–**14600/– (चौदह हजार छः सौ मात्र रूपये मात्र) मासिक नियत पारिश्रमिक देय होगा ।**
2. परिविक्षाकाल प्रशिक्षण(प्रोबेशन ट्रेनिज) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते देय नही होंगे,।
3. मृतक के परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों का उचित रूप से भरण पोषण करने में असफल रहने पर इन्हे नियमानुसार सेवा से हटाया जा सकेगा।
4. ड्युटी जोईनिंग पर किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नही होगा।
5. कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04–10–2013 के अनुसार नियुक्त होने वाले अभ्यर्थी से धुम्रपान एवं गुटका सेवन न करने के संबंध में वचनबंध (Undertaking) प्राप्त करे ।
6. विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दहेज नही लेने सम्बन्धी शपथ पत्र एवं संतान संबंधी वचन पत्र। दिनांक 01.06.2002 के बाद 2 से अधिक सन्तान होने पर नियुक्ति अनुज्ञेय नही है। (विधवा को छोडकर)
7. कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ. 5(51)डीओपी/ए–II/88/पार्ट जयपुर दिनांक 08–04–2015 के द्वारा राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम– 1996 के नियम–5 में **संशोधन अनुसार मृतक आश्रित से ड्युटी जोईनिंग के समय मृतक कर्मचारी पत्नी एवं उसका कोई एक पुत्र, अविवाहित पुत्री दत्तक पुत्र/पुत्री केन्द्र या राज्य–सरकार अथवा केन्द्र या राज्य–सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन नियोजित नहीं होने का शपथ पत्रय(ड्युटी जाईनिंग दिनांक तक मृतक आश्रित परिवार का कोई सदस्य केन्द्र या राज्य–सरकार अथवा केन्द्र या राज्य–सरकार के कानूनी बोर्ड, संगठन/निगम जो पूर्णतः या भागतः**

2314

केन्द्र/राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में हो के अधीन नियोजित होने पर अनुकम्पा नियुक्ति देय नहीं है। अतः कार्मिक विभाग के उक्त संशोधन आदेश की पालना संबंधित कार्यालयाध्यक्ष अपने स्तर पर सुनिश्चित कर लेवे।)

अभ्यर्थी आदेश जारी होने की दिनांक से 15 दिवस तक अपनी उपस्थिति उनके नाम के सम्मुख पदस्थापित कार्यालय में निम्नांकित दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगा। निर्धारित समयावधि में उपस्थिति नहीं देने पर आदेश स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।

1. सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र ।
2. आयु व शैक्षणिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र ।
3. संबंधित गृह जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट ।
4. दो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र ।
5. आश्रित परिवार के अन्य सदस्यों का भरण पोषण करने सम्बन्धी शपथ–पत्र ।

संबंधित आशार्थी/आश्रित की उक्त नियुक्ति उससे संबंधित स्वास्थ्य परीक्षण, पूर्वाचरण, सन्तान वचन पत्र, अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम–5 के तहत प्रस्तुत शपथ पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र आदि के नियमानुसार एवं सन्तोषजनक पाये जाने के अध्यधीन रहेगी।

उक्त मृतक आश्रित के पदस्थापन कार्यालय के कार्यालयाध्यक्ष को निर्देशित किया जाता है कि उल्लेखित आयु एवं शैक्षणिक मूल प्रमाण पत्र/शपथ पत्र/अन्य समस्त दस्तावेजों की नियमों के परिपेक्ष्य में जाच/परीक्षण कर नियुक्ति की प्रकिया की अन्य पूर्तियाँ पूरी करने के बाद पूर्ण सन्तुष्टि के उपरान्त ही पदस्थापन स्थान पर ड्युटी पर लिया जावे तथा वर्णित दस्तावेजों की आप द्वारा प्रमाणित प्रतियों के साथ कार्यग्रहण की सूचना/रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवावे।

(आनन्द कुमार शर्मा)
निदेशक

क्रमांकः प.1/प्रति.4/मृ.आ.नि./9/22/19516
दिनांकः 3-11-2022

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. उप सचिव, आयुर्वेद योगव प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग जयपुर
2. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–2) विभाग, राजस्थान–जयपुर
3. जिला पुलिस अधीक्षक, जोधपुर
4. अति.निजी सचिव,निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर ।
5. निजी सहायक, अति.निदेशक(प्रशा.) आयुर्वेद विभाग अजमेर
6. अति.निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग जोधपुर
7. उप निदेशक आयुर्वेद विभाग पाली
8. प्रशासनिक(प्रति) अधिकारी आयुर्वेद निदेशालय अजमेर
9. प्रभारी, गोपनीय शाखा आयुर्वेद निदेशालय अजमेर
10. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. संबंधित मृतक आश्रित
12. संबंधित पत्रावली

(योगेन्द्र कुमार शर्मा)
प्रशासनिक अधिकारी